शाना

8-4-21 को सहमति प्रेषित हुई। उपरान्त पक्षों को बुलाया गया। प्रकरण में पक्षकारगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम कर में आपसी सहमति पर राजीनामा हो जाने के कारण को अतः कोई चलाना नहीं तथा यह भी निवेदन किया कि उनके विवादित भूमि का संयुक्त रूप से अपने अधिपत्य रखने की भूमि.वि. को सीमांकन इसकी अनुमति में किया जावे।

अतः उपरोक्त प्रकरण में संयुक्त सीमांकन को औचित्य किया जाता है कि विवादित भूमि ग्राम खाकपालो के खसरा सं-74 के रकबा 23.0/2.2 एकड़ का 5-00 बिघा का सीमांकन हेतु पक्षकार गण को समझाइश पर इनकी उपस्थिति में सीमांकन किया जावे। निर्णय सुनाया गया पक्षकारों को खुले में पृथक होकर कब्जा दे दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा